न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2025 (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/70

उनवान

1– राजस्थान सरकार जर्ये विकास अधिकारी सांगोद जिला कोटा (राज0)

– निगराकार

बनाम

1– सचिव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धूलेट पंचायत समिति सांगोद

2– विजय सिह पुत्र मांगीलाल बंजारा निवासी नया गांव धूलेट पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)

3– श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री ओगडीलाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा।

4– श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री ओगडीलाल निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा।

–गैरनिगराकार

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा (निगराकार)

2. श्री धनश्याम नागर (गैर निगराकार)

याचिका निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक : 5/12/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत धलेट द्वारा विजय सिह पुत्र मांगीलाल आबादी भूमि खसरा नम्बर 461 निलामी राशि 3,71,000/–रू0,श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र ओगडीलाल,आबादी भूमि खसरा नम्बर 461 निलामी राशि 3,32,000/–रू0, ,श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र ओगडीलाल,आबादी भूमि खसरा नम्बर 461 निलामी राशि 3,55,000/–रू0 को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के निलामी प्रकिया से संबधित नियम में स्पष्ट प्रावधानो के विपरीत जाकर तीनो व्यक्तियो को दिनांक 20.3.2023 को पट्टे जारी कर दिये गये जो नियम विरूद्व होने से निरस्तनीय है। जिला कलक्टर महोदय कोटा की दैनिक सुनवाई में समस्त ग्रामवासीयान् धूलेट द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर विकास

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अधिकारी द्वारा गठित कमेठी द्वारा जॉच करवाई गई। जॉच के उपरान्त जो पटटे जारी किये गये वह राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियमो के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण तीनो व्यक्तियो को जारी पट्टें निरस्त योग्य है।

यह कि जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2024 में उक्त पटट् नियम विरूद्व पाये जाने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो अवधि मध्य है तथा उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा जारी पट्टो प्रतिपक्षी क्रम–2 लगायत 4 दिनांक 20.3.2023 को राजस्थान पंचायत राज0नियम में अंकित निलामी प्रकिया के प्रावधानो के विपरीत होने से जारी तीनो पट्टो को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार की तलबी की गई। गैर निगराकार की ओर से अभिभाषक श्री धनश्याम नागर द्वारा वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर महोदय कोटा की दैनिक सुनवाई में समस्त ग्रामवासीयान् धूलेट द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेठी द्वारा जॉच करवाई गई। जॉच के उपरान्त जो पटटे जारी किये गये वह राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियमो के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण तीनो व्यक्तियो को जारी पट्टें निरस्त योग्य है।

वकील गैरनिगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई खुली निलामी में नियमानुसार राशि जमा करने के बाद प्राप्त किये हुए है। वकील गैरनिगराकार द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त पट्टो का तहसील कार्यालय से पंजीयन भी करवाया जा चुका है। अतः पंजीयन दस्तावेज/पट्टो की सुनवाई का न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही होने से निगरानी खारिज योग्य है। वकील गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए आर.आर.टी. 2015(2) 967 एवं आर.आर.टी.2018/19, पेज पंख्या 125,

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा आबादी भूमि पर खुली निलामी बोली से जारी किय गए पट्टो के संबध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवाद पर विकास अधिकारी द्वारा गठित जॉच दल द्वारा की गई जॉच में पाई गई अनियमितता के कारण पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा खुली निलामी प्रकिया के तहत उक्त पट्टे जारी किये गये है किन्तु जॉच कमेठी द्वारा की गई जॉच में यह पाया गया है कि ग्राम धूलेट द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141 से 168 तक की पालना करते हुए आबादी भूमि के व्यवसायिक भूखण्डो की निलामी प्रकिया में ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में नियमानुसार प्रस्ताव नही लेकर कोई 1–2 बैठक मे प्रस्ताव लेकर कार्यवाही

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कर लेना प्रतीत होता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के व्यवसायिक भू–खण्डो की निलामी प्रकिया की निलामी राशि का नियमानुसार निलामी की उच्च स्तर से पुष्टि नही करवायी गयी है एवं उच्च स्तर से निलामी की पुष्टि किये गिना ही ग्राम पंचायत द्वारा भू0खण्डो के पट्टें जारी कर दिये गये है जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 147,148,149,151,153,154(1),154(2),154(3) की स्पष्ट अवहेलना करते हुए नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये उक्त पट्टे अवैध है जिसके लिए संरपंच व ग्राम विकास अधिकारी दोषी है।

वकील गैरनिगराकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2015(2) 967 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के संबध में है जिससे स्वामित्व का स्थानान्तरण हुआ है। पत्रावली मे केवल पट्टे का रजिस्ट्रेशन है। अतः वकील गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा नही होते है।

अतः निगराकार विकास अधिकारी पं0स0 सांगोद द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा खुली निलामी के तहत दिनांक 20.3.2023 को जारी पट्टा संख्या 01 एवं 2,3 निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा